पिता से दिनांक 3.07.2019 को मु.न. 11 कि.न .1 व 2 सालम कुल 0.506 है. आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा कीमतन खरीदशुदा है एव विवादित आराजी का खाता दमन सिंह के नाम से अलग कायम था एव किला विशेष आराजी का बेचान हुआ है, प्रार्थी गुरचरण सिंह द्वारा बेचानशुदा किला विशेष आराजी के सम्बध में स्थायी निषेधाज्ञा एव घोषणा का अनूतोष चाहा गया है जो कि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से हस्तांतरित हो चूकी है एव प्रार्थी प्रगट सिंह सदभाविक क्रेता है एव बेचानशुदा आराजी के सम्बध में किसी भी प्रकार के आदेश से प्रभावित व्यक्ति है एवं प्रार्थी प्रगट सिंह को विचाराधीन आराजी के सम्बध में प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा एव स्थायी निषेधाज्ञा की सुनवाई में सुना जाना आवश्यक है। प्रार्थी प्रगट सिह उक्त आराजी में प्रभावित एव रूचिकर पक्षकार है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 1 नियम 10 (2) सी पी सी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 1 नियम 10(2) सी पी सी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी प्रगट सिंह को बतौर प्रतिवादी संख्या 4 पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये जाते है।
प्रार्थी का नाम लाल स्याही से अंकन किया जावे।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 3.12.19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

3.12.19

पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा पत्रावली मे Not press अंकित किया। वादी अपना दावा आगे नही चलाना चाहता है। वाद वापीस। इसी स्टेज पर खारिज किये जाने का निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

Not Press
(हस्ताक्षर)
3.12.19

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.03 17:59:44 IST
Reason: SelfAttested